बिहार विधान-सभा वादवृद

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि ९ अगस्त १९७३ ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : नियम ४ (२) केपरन्तुक के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तर का सभा की मेज पर रखा जाना।	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१-४
अल्प सूचित प्रश्न संख्या : १९७।	४-८
तारांकित प्रश्न संख्या : १३३१, १८४९, १८५०, १८५४, १८६२, १८६४, १८६७, १८६८, १८६९, १८७२, १८७३, १८७४, १८८०, १८८१ १८८४, १९१७, १९१८, १९१९, १९२६, १९२७, १९२८, १९२९, १९३३, १९३४, १९३५, १९३७, १९३९, १९४१ से १९४६ तक, १९४७, १९५२, १९५४, १९५६, १९५७, १९६८, १९६९, १९७१, १९७२, १९७३, १९७७ एवं १९८०।	९-७८
परिशिष्ट १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	७९-८६
,, २ षष्ठ बिहार विधान-सभा के पंचम सत्र १९७३ के १४ अनागत अल्प-सूचित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखे गये।	८६-१००
दैनिक निबंध	१०१-१०३

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

३—श्री बाल किशोर सिंह कटरमाला-खगड़िया　द्वितीय खण्ड विपत्र का भुगतान हुआ है।

४—श्री सुरेश प्रसाद सिंह　　,,　　चतुर्थ खण्ड विपत्र का भुगतान हुआ है।

५—श्री राजेन्द्र हजारी　　,,　　,,　　,,

६—श्री उपेन्द्र सिंह -परिहारा-खगड़िया　इन्हें काम आवन्टित किया गया था, परन्तु स्मार के बावजूद इन्होंने एकरारनामा नहीं किया। अतः अधीक्षण अभियन्ता ने इनके आवंटन आदेश को रद्द करदिया। इन्होंने बिना एकरारनामा तथा स्पेस्फिकेशन के मनमाने ढंग से कार्य आरम्भ कर दिया जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है।

७—श्री शशि सिंह—　　,,　　इनका काम स्पेसिफीकेशन से नीचे स्तर का है अतः इन्हें भुगतान नहीं किया गया है।

टूटे स्लूइस गेटका निर्माण

१९३४। श्री रामचन्द्र पासवान—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—समस्तीपुर जिला के हसन पुर प्रखंड के दुधपुरा पंचायत में करेह नदी का स्लूइस गेट वर्षों से टूटा हुआ है? यदि हां तो सरकार उसे कबतक बनाने का विचार रखती है?

डा० जगन्नाथ मिश्र—उत्तर स्वीकारात्मक है। करेह दायें तटबन्ध के ३४ मी० १५ चेन में स्लूइस गेट वर्षों से टूटा है।

पूर्व निर्मित स्लूइस के टूटने के कारण की जांच के दौरान यह पाया गया था कि यह घटिया किस्म के काम अथवा गलत डिजाइन के चलते नहीं टूटा था। अब संभावना यह हो सकती है कि उक्त स्थान की मिट्टी की भार क्षमता (बियरिंग

प्रेसर) स्लूइस निर्माण के उपयुक्त न हो। इसकी जांच निर्देशक, बिहार जल विज्ञान एवं तत्सम्बन्धी गवेषणा मंदिर, खगौल द्वारा करायी जा रही है। उक्त स्थान पर नया स्लूइसगेट बनानें का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। निर्देशक के प्रतिवेदन के पश्चात् ही नये स्लूइस गेट के निर्माण के विषय में निश्चत निर्णय लिया जा सकेगा।

साझे की ठीकेदारी

१९३५। श्री राम स्वरूप राम—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग; यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया सिंचाई अंचल के अन्तर्गत भभुआ प्रमंडल में श्री जयमंगल सिंह, कार्यपालक अभियंता हैं,

(२) क्या यह बात सही है कि श्री मो० शकुर के नाम से जो उन्हीं के गांव में निवासी हैं साझें की ठीकेदारी प्रमंडल में करते है,

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार श्री सिंह के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, और कबतक ?

डा० जगन्नाथ मिश्र—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है;

(२) उत्तर नकारात्मक है। श्री जयमंगल सिंह कार्यपालक अभियंता के गांव का कोई व्यक्ति उनके प्रमंडल में ठीकेदारी नहीं करता है;

(३) उपर्युक्त खंड का उत्तर देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता है।

यात्रा भत्ता की राशि

१९३७। श्री अवध बिहारी सिंह—क्या मंत्री कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

श्री एम० पी० श्रीवास्तव, संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर ने १९७२-७३ में यात्रा भत्ता कितना लिया है तथा किन-किन स्थानों पर रात्रि विश्राम किया है।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—डा० एम० पी० श्रीवास्तव एग्रोनोमिस्ट,